

विदेश सरकार

श्रम संसाधन विभाग

विदेश राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

विदेश शाखा असाधारण कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मालदेही के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 09 श्रमिकों के स्वास्थ्यविक मूल्य के उपरान्त आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 270000- (दो लाख सतर हजार रुपए) एवं दुर्घटना में मृत 02 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रुपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000- (दो लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 470000- (चार लाख सतर हजार रुपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतीपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आश्रित के मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों की स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पता, पति/पत्नी का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	आश्रित का पत्रांक/दिनांक	पता	6	7	8	9
1	श्री मकबूल	श्री मकबूल	658/27.	श्री0+श्री0-रुक्मिणी, पूर्वी चम्पारण	50167135	दण्डाबाद बैंक, माधुपुर रुक्मिणी, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, बीबी
2	श्रीमती मीरा	श्रीमती मीरा	659/27.	श्री0-सिसवा मलदेहीबा, श्री0-पूर्वी सिसवा, श्री0-सिसवा बाजार, श्री0+श्री0-पराशरपुर, पूर्वी चम्पारण	10029310	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, धनखेवा, हरसिद्धि, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, बहई
3	श्रीमती	सम्वेदी	636/21.	श्री0+श्री0-रुपनी, श्री0+श्री0-मधुवन, पूर्वी चम्पारण	23173541	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मधुवन, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, कर्षि
4	श्रीमती शांति	श्रीमती शांति	634/21.	श्री0+श्री0-रुपनी, श्री0+श्री0-मधुवन, पूर्वी चम्पारण	10807910	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, रुपनी, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन मजदूरी का कार्य
5	श्रीमती	मानवी	626/18.	श्री0-विशंभरपुर, श्री0-पराशरपुर, श्री0+श्री0-महेली, पूर्वी चम्पारण	31898839	भारतीय स्टेट बैंक, रक्षान वीह महेली, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, धवन निर्माण में रूप्प का कार्य
6	श्री राजबलम	श्री राजबलम	625/18.	श्री0-विशंभरपुर दुबौली, श्री0-पराशरपुर, श्री0-संग्रामपुर, पूर्वी चम्पारण	57571011	बैंक ऑफ इंडिया, कसरिया, (एक लाख रुपए)	₹ 100000/-	दुर्घटना मृत्यु, मकान निर्माण में मजदूरी का कार्य
7	श्रीमती	शकुन्तला	624/18.	श्री0+श्री0-सत्या, श्री0-गिरिकान्वा, श्री0-अररवा, पूर्वी चम्पारण	32423652	भारतीय स्टेट बैंक, सत्या श्रीवा, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, खेतार मजदूरी का कार्य
8	श्रीमती	शकुन्तला	623/18.	श्री0+श्री0-सत्या, श्री0-गिरिकान्वा, श्री0-अररवा, पूर्वी चम्पारण	36174791	भारतीय स्टेट बैंक, सत्या श्रीवा, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, कर्षि में मजदूरी का कार्य
9	श्रीमती	निर्मला	622/18.	श्री0+श्री0-सिसवा, पूर्वी चम्पारण	33349416	भारतीय स्टेट बैंक, पकड़ियाल, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, मिर्बा उकान में रूप्प का कार्य
10	श्रीमती	कौशिला	621/18.	श्री0-मुअलीखीह, श्री0-सलेमपुर, श्री0-सिदकहिबा, श्री0-पराशरपुर, श्री0-महेली, पूर्वी चम्पारण	10022710	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, राजपुर, महेली, (एक लाख रुपए)	₹ 100000/-	दुर्घटना मृत्यु, किसान बचाने का कार्य
11	श्रीमती	विद्या	619/18.	श्री0+श्री0-रुक्मिणी, पूर्वी चम्पारण	33825802	भारतीय स्टेट बैंक, रुक्मिणी, (तीस हजार रुपए)	₹ 30000/-	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिर्बा के रूप्प का कार्य

कुल :- ₹ 470000/-

(चार लाख सतर हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-14/2018 के पृष्ठ-17/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-14/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-14/2018-407

पटना, दिनांक :-24-08-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 470000/- (चार लाख सतर हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उनके पत्रांक 658, 659 दिनांक 27.7.18, 638 दिनांक 21.7.18, 634, 636, दिनांक 21.7.18, 626 दिनांक 18.7.18, 619, 621, 622, 623, 624 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

24/08/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

24/08/18

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

24/08/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।